न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

(1)अपील सं. 188/2016

कलावती पत्नी शिवनारायण जाति बिश्नोई निवासी बिरधवाल हैड तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थी

बनाम

1. राजाराम पुत्र मेराम जाति नाई निवासी चक 3 एसपीएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। —रेस्पोडेन्टान

(2) अपील संख्या 189/2016

कलावती पत्नी शिवनारायण जाति बिश्नोई निवासी बिरधवाल हैड तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजाराम पुत्र मेराम जाति नाई निवासी चक 3 एसपीएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
3. उप-पंजीयक राजियासर तहसील सूरतगढ —रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 10.07.2012 व 14.09.2015

उपस्थित:-

श्री विनोद कुमार बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री रामप्रताप तिवाडी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

28/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 28.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो.1 ने आवंटन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष चक 1 एस पी एम के प.न. 158/6 के कि.न. 3, 4, 7, 8 की 2.04 बीघा का एवं दूसरा प्रार्थना पत्र चक 3 एस पी एम के प.न. 158/5 के कि.न. 10, 11, 19 व 23 की 3.10 बीघा के कब्जा काश्त के आधार पर नियम 21 के तहत नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने हेतु सुनवाई करने के पश्चात प्रार्थी/रेस्पो. को उक्त भूमि का दिनांक 10.07.2012 को आवंटन का पात्र घोषित करने के आदेश दिये एवं पत्रावली आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष रखने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपील संख्या 188/2016 पेश हुई एवं दिनांक 14.09.2015 को पत्रावली आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष पेश होने पर उसी दिन प्रार्थी/रेस्पो. को उक्त भूमि के आवंटन/नियमन करने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध अपील संख्या 189/2016 पेश हुई है।

दोनों ही अपीलों में विवादित भूमि एक होने से, पक्षकार एक होने से, उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली की जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा जो प्रार्थना पत्र रिपोर्ट मंगाई है वह सही नहीं हैं विवादित भूमि रेस्पो. का कब्जा काश्त नहीं है बल्कि अपीलांट के चिपती हुई भूमि है जिसे अपीलांट स्मालपैच में आवंटन कराने की पात्रता रखता हैं अधी. न्यायालय में जो रिपोर्ट आई है वह सही नहीं है। रेस्पो. ने मिली भगत से आवंटन करवाया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया हैं अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरआरटी 2002 (1) पेज 648, आरआरटी 2016 (2)पेज 1378 आरबीजे 2011(18) 330 के न्याय दृष्टान्त पेश किये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर रेस्पो. का पुराना कब्जा चला आ रहा था जिसके नियमन हेतु रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार की रिपोर्ट मंगाई गई एवं रेस्पो. को पात्र मानकर पात्र घोषित कर पत्रावली आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष पेश होने पर नियमन किया गया जिसमें कोई विधिक भूल नहीं हुई है। अपीलांट द्वारा अपीले मियाद बाहर पेश की हैं देरी बाबत समुचित कारण नहीं है। अपीलें मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।अतः निवेदन है कि अपीलें खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने आरआटी 2015 (1) पेज 168, 232 , 265 आरआटी 2015 (2) पेज 1089, आरआटी 2014–15 पेज 441 आरआटी 2011 (1) पेज 421 सीजे (सिविल)राज 2016(1)पेज 109, 450 की नजीरे पेश की।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका जबाव रेस्पो. ने पेश किया है अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीले पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलार्थी द्वारा दोनों ही अपीले दिनांक 12.08.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका जबाव रेस्पो. द्वारा पेश किये गये है। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील संख्या 188/2016 कलावती बनाम राजाराम निर्णय उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ दिनांक 19.07.2012 जिसमें रेस्पो. को नियमन का पात्र घोषित

28/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किया है व अपील संख्या 189/2016 कलावती बनाम राजाराम निर्णय उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ दिनांक 14.09.2015 जिसमें रेस्पो. को भूमि का नियमन किया गया है दोनों ही आदेशों के विरूद्ध पेश होकर अपीलें एक दूसरे की पूरक होकर निर्णय एक साथ किया जाता है।

अधी.न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अपील संख्या 188/2016 का अपीलाधीन तथाकथित आदेश दिनांक 10.07.2012 से सम्बन्धित अधी. न्यायालय की पत्रावली सं0 6/2012 का अवलोकन किया। पत्रावली सरवरक अनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर की तिथि 19.01.2012 होकर निर्णय की तिथि का कालम खाली है तथा पत्रावली के कुल 47 पृष्ठ होना जाहिर किया। इन 1 से 47 तक के पृष्ठों का अवलोकन किया जिसमें भी निर्णय होना नहीं पाया गया। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.05.2012 के अनुसार पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07.05.2012 को नियत हुई परन्तु पत्रावली की फर्दअहकाम दिनांक 07.05.2012 से आगे नहीं बढी, यथा पत्रावली की बहस होना निर्णय के लिए नियत होना निर्णय होने से सम्बन्धित कोई अंकन नहीं है तथा प्रार्थी निमयन करवाना चाहता है पर तहसीलदार की स्पष्ट अभिशंषा नहीं है। वही अपील संख्या 189/2016 के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2015 की पत्रावली 5/12 व 6/12 की फर्दअहकाम को आगे बढाकर दोनों ही निर्णय एक पत्रावली में किये है जो स्पष्ट सन्देह पैदा करते हैं कि पत्रावलियों में Manipulation हुआ है तथा निर्णय दिनांक 14.09.2015 की आदेशिका में पत्रावली आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष पेश होना जाहिर किया है परन्तु समिति की अभिशंषा मिटिंग Minutes पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है समस्त कार्यवाहीयां नियमन को सन्देह के घेरे में लाते ह।

अधी.न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अपील संख्या 188/2016 का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2012 के सम्बन्ध में पत्रावली के पृष्ठ संख्या 4 पर तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट अपूर्ण है प्रार्थी को 1990 से अब तक विवादित आराजी पर कब्जा काश्त दर्शाया है वही वर्षवार काश्त के अधीन रकबा, रकम जो अदा की विवरण के सभी कॉलम खाली दर्शाऐं हैं जो रेस्पो. को नियमन का पात्र घोषित करने के लिए पर्याप्त नही है। दौराने बहस अपीलांट अभिभावक अपीलांट द्वारा नियमन से सम्बन्धित विभागीय परिपत्र No.F4(16)col/ 99

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर दिनांक 11.01.2008 की प्रति पेश कर अनुतोष चाहा कि अधी0 न्यायालय के दोनों ही निर्णय दिनांक 10.07.2012 व 14.09.2015 के दिन Notification प्रभावी होकर इसकी पालना किया जाना आज्ञापक था जिसमें स्पष्ट प्रावधान किये है कि 2. Amendment of rule 21-A- For the existing prfoviso to sub rule (1) of rule 21-A of the Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules 1975, following proviso shall be substituted:- Provided that such trespasser has been in possession over the trespassed land for minimum five years during preceding seven years from 1.1.2000 and still in continuous possession from 1.1.2000. इस प्रावधान अनुसार रेस्पो. को न तो पात्रता हासिल है न ही नियमन किया जा सकता क्योंकि दिनांक 01.01.2000 के बाद रेस्पो. का कोई कब्जा नहीं रहा ।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन, उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात पत्रावली में Manipulation की अन्देशा तहसीलदार की अस्पष्ट रिपोर्ट तथा निर्णय के दिन सदंर्भित परिपत्र दिनांक 11.01.2008 प्रभावी होने के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2012 व 14.09.2015 अपास्त किये जाते है।

निर्णय दिनांक 28.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर